

[2023] 1 एस सी आर 787 ए

दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम.

ए.

शकुंतला देवी और ओआरएस। (2023 की सिविल अपील संख्या 342) 20 जनवरी, 2023

बी.

[एम. आर. शाह और सी. टी. रविकुमार, जे. जे.]

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013: धारा 24 (2)-भूमि अधिग्रहण जब समाप्त हो गया माना जाता है-निजी प्रत्यर्थी-लिखित याचिकाकर्ता द्वारा लिखित याचिका जिसमें यह घोषणा करने की मांग की गई है कि विषय भूमि से संबंधित अधिग्रहण कार्यवाही को धाराओं को देखते हुए समाप्त माना जाता है। 24(2) - उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को इस आधार पर स्वीकार कर लिया कि मुआवजे का भुगतान या निविदा-स्थिरता-आयोजित नहीं की गई है: टिकाऊ नहीं-भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा कब्जा ले लिया गया और पंचनामा बनाकर लाभार्थी को सौंप दिया गया-इसके द्वारा निर्धारित कानून को लागू करना।

सी.

डी.

इंदौर विकास प्राधिकरण के मामले में उच्च न्यायालय का आदेश

न्यायालय को खारिज कर दिया जाता है और खारिज कर दिया जाता है-भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894। इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहरलाल और अन्य।

(2020) 8 एससीसी 129:[2020] 3 एस. सी. आर. 1-अनुसरण किया गया। मामला कानून संदर्भ

ई.

[2020] 3 एससीआर 1

पीछा किया।

पैरा 4

सिविल अपील न्यायनिर्णय: सिविल अपील No.342

2023.

एफ.

2016 के डब्ल्यूपी (सी) No.5053 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 14.03.2018 के निर्णय और आदेश से।

अश्विनी कुमार, अंशय धतवालिया, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।सुश्री आस्था त्यागी, दिनेश चंदर त्रेहन, सुश्री दीक्षा नरूला, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणों के लिए।

जी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 2016 की रिट याचिका (सी) संख्या 5053 में पारित किए गए विवादित फैसले और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अनुमति दी है।

एच.

787

788

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 1 एस सी आर।

प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा यहाँ प्रस्तुत की गई उक्त रिट याचिका-मूल रिट याचिकाकर्ता और यह घोषित किया है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (इसके बाद "अधिनियम, 1894" के रूप में संदर्भित) के तहत शुरू की गई अधिग्रहण कार्यवाही को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 (इसके बाद "अधिनियम, 2013" के रूप में संदर्भित) में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 24 (2) के तहत समाप्त माना जाता है, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

बी.

2. वर्तमान मामले में, अधिनियम, 1894 की धारा 4 के तहत अधिसूचना 27.06.1996 पर जारी की गई थी।पुरस्कार दिनांक 22.06.1999 के माध्यम से भी पारित किया गया था।भूमि अधिग्रहण कलेक्टर (एल. ए. सी.) के अनुसार और उच्च न्यायालय के समक्ष एल. ए. सी. द्वारा दायर जवाबी हलफनामे के अनुसार, ऐसा प्रतीत होता है कि मूल प्रत्यर्थीगणों की

ओर से यह विशिष्ट मामला था कि खसरा संख्या 759 (4-16) में आने वाली विषय भूमि का वास्तविक खाली शांतिपूर्ण कब्जा 31.12.2013 पर लिया गया था जिसमें मूल रिट याचिकाकर्ता का 1/4 वां संयुक्त हिस्सा है, यानी, मौके पर 1 बीघा का आकलन करना और मौके पर उचित कब्जा कार्यवाही तैयार करके अधिग्रहण एजेंसी को सौंपना। उपरोक्त के बावजूद और कब्जा लेने पर आगे कोई टिप्पणी किए बिना, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया है और घोषणा की है कि विचाराधीन भूमि के संबंध में अधिग्रहण इस आधार पर समाप्त हो गया है कि मूल रिट याचिकाकर्ता को मुआवजे का भुगतान/निविदा नहीं दी गई है। हालाँकि, जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है, उच्च न्यायालय ने एल. ए. सी. द्वारा कब्जा लेने और 31.12.2013 पर मौके पर पंचनामा खींचकर लाभार्थी को सौंपने पर विवाद नहीं किया है और/या विचार नहीं किया है।

सी.

डी.

ई.

3. इंदौर के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले को देखते हुए उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण अस्थिर है।

एफ.

विकास प्राधिकरण बनाम मनोहरलाल और अन्य, (2020) 8 एससीसी

129. पैराग्राफ 366 में, इस न्यायालय की संविधान पीठ ने निम्नलिखित रूप में अवलोकन और अभिनिर्धारित किया है:-

“366. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देते हैं:

जी.

366.1. धारा 24 (1) (ए) के प्रावधानों के तहत यदि 2013 के अधिनियम के प्रारंभ की तारीख के अनुसार पुरस्कार नहीं दिया जाता है, तो कार्यवाही में कोई चूक नहीं होती है। 2013 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत मुआवजे का निर्धारण किया जाना है। 366.2। यदि पुरस्कार ए द्वारा कवर की गई अवधि को छोड़कर पांच साल की अवधि के भीतर पारित किया गया है।

एच.

789

दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम शकुंतला देवी और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

अदालत के अंतरिम आदेश के बाद, कार्यवाही जारी रहेगी जैसा कि 1894 के अधिनियम के तहत 2013 के अधिनियम की धारा 24 (1) (बी) के तहत प्रदान किया गया है, जैसे कि इसे निरस्त नहीं किया गया है।

366.3. कब्जा और मुआवजे के बीच धारा 24 (2) में उपयोग किए गए शब्द "या" को "न" या "और" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की मानित समाप्ति तब होती है जब उक्त अधिनियम के शुरू होने से पहले पांच साल या उससे अधिक समय तक अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण, भूमि का कब्जा नहीं लिया गया है और न ही मुआवजे का भुगतान किया गया है। दूसरे शब्दों में, यदि कब्जा ले लिया गया है, तो मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है तो कोई चूक नहीं है। इसी तरह, अगर मुआवजे का भुगतान किया गया है, कब्जा नहीं लिया गया है तो कोई चूक नहीं है।

बी.

सी.

366.4. 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के मुख्य भाग में "भुगतान" अभिव्यक्ति में अदालत में मुआवजे की जमा राशि शामिल नहीं है। जमा न करने का परिणाम धारा 24 (2) के परंतुक में प्रदान किया गया है, यदि इसे अधिकांश भूमि स्वामित्व के संबंध में जमा नहीं किया गया है, तो सभी लाभार्थी (भूमि मालिक) 1894 अधिनियम की धारा 4 के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना की तारीख तक 2013 अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुआवजे के हकदार होंगे। यदि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 31 के तहत दायित्व पूरा नहीं किया गया है, तो उक्त अधिनियम की धारा 34 के तहत ब्याज दिया जा सकता है। क्षतिपूर्ति (अदालत में) जमा न करने के परिणामस्वरूप भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त नहीं होती है। पांच साल या उससे अधिक समय तक अधिकांश जोतों के संबंध में जमा न करने के मामले में, 2013 के अधिनियम के तहत मुआवजे का भुगतान 1894 के अधिनियम की धारा 4 के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना की तारीख को "भूमि मालिकों" को किया जाना है। 366.5। यदि किसी व्यक्ति को 1894 के अधिनियम की धारा 31 (1) के तहत प्रदान किए गए मुआवजे के रूप में प्रस्तुत किया गया है, तो उसके लिए यह दावा करना खुला नहीं है कि भुगतान न करने या अदालत में मुआवजे को जमा न करने के कारण धारा 24 (2) के तहत अधिग्रहण समाप्त हो गया है। भुगतान करने का दायित्व धारा 31 (1) के तहत राशि का भुगतान करके पूरा किया जाता है। जिन भूमि मालिकों ने मुआवजे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था या जिन्होंने अधिक मुआवजे के लिए संदर्भ मांगा था, वे यह दावा नहीं कर सकते कि अधिग्रहण की कार्यवाही 2013 अधिनियम की धारा 24 (2) के तहत समाप्त हो गई थी।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

790

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 1 एस सी आर।

366.6.2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के प्रावधान को धारा 24 (2) के हिस्से के रूप में माना जाना चाहिए, न कि धारा 24 (1) (बी) के हिस्से के रूप में। 366.7.1894 के अधिनियम के तहत कब्जा लेने का तरीका और जैसा कि धारा 24 (2) के तहत विचार किया गया है, शव का पंचनामा रिपोर्ट/ज्ञापन तैयार करना है। एक बार जब 1894 के अधिनियम की धारा 16 के तहत कब्जा लेने पर अधिनिर्णय पारित हो जाता है, तो राज्य में निहित भूमि को 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के तहत विनिवेश का प्रावधान नहीं है, क्योंकि एक बार कब्जा लेने के बाद धारा 24 (2) के तहत कोई चूक नहीं होती है।

बी.

366.8. धारा 24 (2) के प्रावधान उस स्थिति में लागू होते हैं जब अधिकारी 2013 के अधिनियम के लागू होने से पहले पांच साल या उससे अधिक समय तक कब्जा करने और मुआवजे का भुगतान करने में विफल रहे हों। अदालत द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के निर्वाह की अवधि को पाँच साल की गणना में बाहर रखा जाना चाहिए।

सी.

डी.

366.9. 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) भूमि अधिग्रहण की समाप्त कार्यवाही की वैधता पर सवाल उठाने के लिए कार्रवाई के नए कारण को जन्म नहीं देती है। धारा 24 2013 अधिनियम के प्रवर्तन की तिथि पर लंबित कार्यवाही पर लागू होती है अर्थात् 1-1-2014। यह पुराने और समय-बाधित दावों को पुनर्जीवित नहीं करता है और न ही समाप्त कार्यवाही को फिर से खोलता है और न ही भूमि मालिकों को अधिग्रहण को अमान्य करने के लिए अदालत के बजाय राजकोष में कार्यवाही या मुआवजे के जमा करने के तरीके को फिर से खोलने के लिए कब्जा लेने के तरीके की वैधता पर सवाल उठाने की अनुमति देता है।”

ई.

4. इंदौर विकास प्राधिकरण (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को लागू करते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को रद्द करने और दरकिनार करने के योग्य है और तदनुसार इसे रद्द कर दिया जाता है और दरकिनार कर दिया जाता है।

एफ.

तदनुसार वर्तमान अपील की अनुमति है। कोई लागत नहीं। लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा कर दिया जाता है।

जी.

निधि जैन

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायक: अभिषेक अग्रिहोत्री, एलसीआरए)

एच.